

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2024—आषाढ़ 7, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 जून 2024

क्र. एफ-53-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल में डॉ. शिव चन्द्र दुबे, भूतपूर्व डायरेक्टर (आई.सी.ए.आर) "निषाद" नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सेक्योरिटी एनीमल डिजीज, भोपाल, निवासी-29-30, ईशान पार्क, रायसेन रोड, आनन्द नगर, भोपाल को तीन वर्ष की अवधि हेतु सदस्य नामांकित किया गया है.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.